-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 11.03.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप थाना बिसण्डा क्षेत्र में वर्ष-2018 में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को दिलाई गई आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2018 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सिंहपुर में दिनांक 31.01.2018/01.02.2018 की रात्रि को गांव के राकेश कुमार त्रिपाठी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सम्बन्ध में मृतक के भाई अवधेश कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर थाना बिसण्डा में मु0अ0सं0 25/18 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री लालजी सिंह अपराध शाखा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्त की पहचान रज्जू उर्फ राजेश कुमार कोरी पुत्र चुनकू कोरी के रुप में की गई तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर थाना बिसण्डा पर मु0अ0सं0 226/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानु प्रताप तथा पैरोकार आरक्षी राजन अग्निहोत्री के अथक प्रयासों से अभियुक्त को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. रज्जू उर्फ राजेश कुमार कोरी पुत्र चुनकू कोरी निवासी सिंहपुर थाना बिसंडा जनपद बांदा।

अभियोजक
श्री विजय बहादुर सिंह

अभियोजक
श्री उमाशंकर पाल

विवेचक
उ0नि0 श्री लालजी सिंह

कोर्ट मोहर्रिर
मु0आ0 भानु प्रताप

पैरोकार
आ0 राजन अग्निहोत्री